प्रकरण 45 तहसीलदार कामां 7/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17/9/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर पधारे है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/20 को पेश हो।	
24/09/020	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र की अनुपालना में आगामी तारीख पेशी नियत की जाती है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-10-020 को पेश हो।	
	22/10/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/11/20 को पेश हो।	
	22/11/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/11/21 को पेश हो।	
	4/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। तहसीलदार कामां की रिपोर्ट प्राप्त नहीं [illegible] लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 8/11/21 को पेश हो।	
	8/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व तहसीलदार कामां उपस्थित आये। रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत [illegible] लिखा जाकर पत्रावली [illegible] बाद तकमील [illegible] फैसला लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया	

Scanned with CamScanner

ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
आसीन उपखण्ड अधिकारी कामां

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

ुकदमा नं०3/19

पप्पू पुत्र भग्गू जाति जाटव निवासी ग्राम बिलोंद तहसील कामां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 8.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया कि प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र भग्गू है लेकिन प्रार्थी की नाबालिकी में प्रार्थी की मां ने प्रार्थी का नाम दीपचन्द बता दिया । जिससे राजस्व प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र भग्गू दर्ज हो गया जिसका प्रार्थी कोई इल्म नहीं था । क्योंकि प्रार्थी नाबालिक था एक मेरे अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र भग्गू ही दर्ज है । जिसके कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है । इसलिए प्रार्थी का नाम दीपचन्द के स्थान पर पप्पू पुत्र भग्गू दर्ज रिकार्ड में किया जाना न्याय हित में है ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम दीपचन्द के स्थान पर पप्पू पुत्र भग्गू दर्ज रिकार्ड दर्ज कराये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी खसरा नम्बर ग्राम का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । यह कि प्रार्थी के किस खसरा नम्बर में किस ग्राम में नाम की अशुद्धि हो गयी है । जिसे प्रार्थी सही करवाना चाहता है । वाहिस्सा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई जमाबन्दी नकल संलग्न नहीं की है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी खसरा नम्बर ग्राम का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । यह कि प्रार्थी के किस खसरा नम्बर में किस ग्राम में नाम की अशुद्धि हो गयी

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

है । जिसे प्रार्थी सही करवाना चाहता है । वाहिस्सा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई जमाबन्दी नकल सलग्न नहीं की है । अपूर्ण प्रार्थना पत्र के कारण नाम में शुद्ध किया जाना सम्भव नहीं है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अपूर्ण प्रार्थना पत्र होने के खारिज किया जाता है प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner